

पंथक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव
जमुना देवी अग्रवाल मेमोरियल संस्थान,
जोस रोड, उरई।

संस्था का नाम- जमुना देवी नरोश चन्द्र
महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फार्मसी, जोस रोड,
उरई।

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2022/7403

लखनऊ:दिनांक- 09-08-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया (पीएसआई) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12581-63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-08-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूचित है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को "उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1982 (स्थापनाधिनियम) 1974" की धारा-12(1) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पीएसआई, नई दिल्ली से प्रस्तुत संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया (पीएसआई), नई दिल्ली के संदर्भ संख्या 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/12581-63 Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-08-2022 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहमति/अनापत्ति पत्र इस प्रतीबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आगत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार की बैठक से पूर्व प्राप्त करवाया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहमति/अनापत्ति पत्र प्रतीकारक है, और उपरोक्तानुसार वर्गित हर्ता को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही पीएसआई एवं परिषद द्वारा निर्धारित हर्ता/मानकों के अनुसार संस्था का स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय संस्थापन एक मात्र के अंदर कक्षया जाएगा। पीएसआई/परिषद के मानकों के क्रम में दिये गये अभिलेखों के संस्थापन की पुष्टि न होने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय


(एसके आरके खान)
सचिव


तद्दिनांक- 09-08-2022

पुठसं०- प्राशिप/परिषद/2022/7304-05

प्रतिलिपि-मिनालिखित को सूचनाार्थ एवं कार्यावाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
2. सचिव/आ-कम-सेक्रेटरी, फार्मसी कार्डिनल ऑफ इण्डिया, एनएसपीएसआई, सेक्टर टूलीव क्ल, प्लॉट नो 2, कम्युनिटी सेक्टर, ग्रा आनन्दगढ़, भाग, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020


Chairman
Jatuna Devi Naroshchandra
Moharidya College of Pharmacy


Principal
Jatuna Devi Naroshchandra
Moharidya College of Pharmacy

(एसके आरके खान)
सचिव